श्रीमान अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल मोतीमहल ग्वालियर मध्यप्रदेश के न्यायालयमे

१- ठाकुर कीर्तीसिंह पिता ठाकुर जीतसिंहजी निवासी ग्राम बोरी तहसील एवम जिला झाबवा म०प्र०

२- श्रीमती दौलतकुवर पती ठाकुर सवाईसिंहजी

३- श्रीमती कल्याणकुवर पती ठाकुर जीतसिंहजी

४- श्रीमती जयश्री पती ठाकुर लक्ष्मणसिंहजी

५- श्रीमती महेंद्रा पती ठाकुर दिलीपसिंहजी

६- श्रीमती स्वरूपा पती ठाकुर विजेन्द्रसिंहजी

७- कुंवर योगेन्द्रसिंह पिता ठाकुर जीतसिंहजी

८- कुंवर आदित्यसिंह पिता ठाकुर जीतसिंहजी

क्र० २ से ८ का पता द्वारा ठाकुर कीर्तीसिंह क्र० १ निवासी ग्राम बोरी तह०व जि०झाबवा मध्यप्रदेश ---- प्रार्थीगण

वि०

१- मध्यप्रदेश शासन

२- अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग थांदला जिला झाबवा

३- बिसीया पिता जौलिया

४- मेहजी पिता रामदीम

५- उकेडी मैयत वारीस जगन्नाथ पिता आत्मारात

क्र० ३,४ व ५ का पता ग्राम अगराल तहसील मेघनगर जिला झाबुवा --- अनावेदक

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा ५१ भूराजस्वसंहिता १९५९

श्री० पूर्व अध्यक्ष श्री० एच०जी०ओबराय, द्वारा प्र०क्र० २२२-१-९२ मे दिनांक २९-११-९९ को की निगरानी आंशिक रूपसे स्वीकार कर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 232–पीबीआर/2000 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–2017	आवेदिका अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–1999 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 222–एक/1992 में पारित आदेश दिनांक 29–11–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। आवेदिका अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार इस रिव्यु में नहीं होने से यह रिव्यु आधारहीन होने से अमान्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	